



# डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

संख्या : लो०उ०वि०/ सम्ब०/ 2020 / 1782

दिनांक : ५/- ०६- २०२०

सेवा मै.

- 1.प्र०० राजीव गौड़, विभाग—सूहगजीव विज्ञान, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध वि०वि०, अयोध्या।
- 2.डॉ० मिर्जा शहब शाह, काठसु साकेत पी.जी. कालेज, अयोध्या,
- 3.डॉ० एम०एल० गौर्या, विभाग—होमसाइंस, एन०डी० युनिवर्सिटी, कुमारगज, अयोध्या।
- 4.डॉ० शोफाली सिंह, प्राचार्या, राजकीय डिग्री कालेज, अम्बेडकरनगर।

—आचार्य  
—विशेषज्ञ सदस्य  
—विशेषज्ञ सदस्य  
—सदस्य/ सचिव

**विषय-** राम अवध स्मारक पौजी० कालेज कसदहां शुक्रव बाजार अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य/विज्ञान संकाय के अन्तर्गत वी०काम० पाठ्यक्रम में एवं बी०एस०-सी० युविज्ञान पाठ्यक्रम में स्ववित्तप्रेषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2020-21 से सम्बद्धता (अस्थाइ) प्रदान करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

**महोदय/महोदया,**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक के प्रेषित प्रस्ताव के अनुरोधानुसार वर्तित पाठ्यक्रम के विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी ने आपको महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल का सदस्य नामित करने की कृपा की है।

अतः आप से अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी सूच्य है कि निरीक्षक मण्डल द्वारा एक साथ एक ही तिथि में महाविद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल के सदस्य महाविद्यालय के सम्पूर्ण निर्मित भवन के साथ अपनी फोटो खिचवायेंगे, जिसे हस्ताक्षर सहित निरीक्षण आख्या में रखलग किया जायेगा। सम्पूर्ण निरीक्षण की निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के साथ वी०डियोग्राही करायी जाए, जिसमें महाविद्यालय का पूर्ण भवन चहरादीवारी, गेट, शिक्षण कक्षों, प्रयोगशाला कक्षों (उपकरणों सहित) अनुगोदित शिक्षकों एवं मानकानुसार चाहित अन्य अवस्थापना सुविधाओं की रिकार्डिंग सम्मिलित हो तथा निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ सम्पूर्ण निरीक्षण की दो सी०डी० भी प्रेषित की जाय। (सुर्योरत के पश्चात किसी भी दशा में निरीक्षण कार्य न किया जाए)

**निम्न विन्दुओं पर निरीक्षक मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या देना अनिवार्य है—**

1. महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति के पंजीकरण एवं वैधता की तिथि।
  2. महाविद्यालय की मानकानुसार गूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अग्रिमेखों में अंकित होने से संबंधित खतोनी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उपजिल्लापिकारी से प्रमाणित होने की रिथ्ति।
  3. महाविद्यालय की गूमि के समरत गाटों का संयुक्तता प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित एवं नजरी नवशा मूलरूप में सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित होने की रिथ्ति, महाविद्यालय के नाम राजस्व अग्रिमेखों में अंकित गूमि का विवरण गाटाओं एवं क्षेत्रफल सहित अंकित किया जाए।
  4. महाविद्यालय को प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनापत्ति प्रदान किये जाने के आदेश संख्या एवं तिथि, अंकित की जाए तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापत्ति जिसमें गाटों का उल्लेख किया गया है, क्या उसी गाटाओं पर महाविद्यालय निर्मित है अथवा नहीं।
  5. महाविद्यालय नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत ने अवस्थित होने की रिथ्ति में रांदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की रिथ्ति।
  6. सोसायटी/द्रस्ट की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तथा संस्था की विगत तीन वर्षों की सी०१० द्वारा प्रमाणित बैलेस सीट अन्यथा की रिथ्ति में तहसीलदार द्वारा निर्भत प्रमाण पत्र।
  7. मानकानुसार सोसायटी/महाविद्यालय के बयत खाते में अद्यतन जमा धनराशि।
  8. मानकानुसार प्राप्त धनराशि जमा होने की रिथ्ति।
  9. प्रबन्ध तंत्र के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण/प्रविष्टियां तथ्यों पर आधारित एवं सही है का ५० रुपये के रुपाये पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र गूल रूप में होने की रिथ्ति।
  10. स्थातकोत्तर विषयों हेतु यू०जी०सी० की घास २५५ मे पंजीकृत होने की रिथ्ति।
  11. महाविद्यालय ने पूर्व संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने की रिथ्ति तथा विभत तीन वर्षों का परीक्षाकल।
  12. पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट रिथ्ति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
    - a) महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अंकित की जाय।
    - b) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शैक्षालयों, पेयजल तथा चहरादीवारी आदि के निर्मित होने की रिथ्ति।
    - c) फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की रिथ्ति।
  - d) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की रिथ्ति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएं, स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयत्र होने की रिथ्ति (प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।
  - e) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।
13. यावितपाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट रिथ्ति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
  - a) महाविद्यालय में यावितपाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अंकित की जाय।
  - b) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शैक्षालयों, पेयजल तथा चहरादीवारी आदि के निर्मित होने की रिथ्ति।
  - c) फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की रिथ्ति।



## डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

- d) प्रयोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएं, रथापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयत्र होने की स्थिति (प्रयोगशाला की संख्या रहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैस लाइन, सिक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।
- e) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।
14. महाविद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष, कम्प्यूटर उपकरण, यू०पी०एस०.३००पी०य०० आदि के साथ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने की स्थिति।
15. प्रबन्ध समिति के गठन व अनुमोदन की स्थिति।
16. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, चहारदीवारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुराजित होने का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति।
17. सामूहिक नकल का आरोप न होने की स्थिति(प्रमाण संलग्न करें)।
18. नियुक्ता अनुगोदित प्राचार्य एवं अध्यापकों के वेतन मुग्धतान बैंक के द्वारा किये जाने की पुष्टि।
19. नेशनल रिलिंग कोड-2005 के अनुसार महाविद्यालय का भवन निर्मित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अधिशासी अनियन्ता लोक निर्माण विभाग अथवा अधिशासी अनियन्ता ग्रामीण अग्रियन्त्रण सेवा का ही एवं अग्रियन्त्रण की मानकानुसार व्यवस्था होने के सम्बन्ध में अद्यावधिक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
20. निरीक्षक मण्डल के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से शासनादेश के अनुरूप अण्डरटेकिंग निरीक्षण आख्या के अन्त में दी जायेगी।
21. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा समन्वय प्रदान करने हेतु की गयी स्पष्ट संस्तुति (रथाई अथवा अरथाई)।

उपरोक्त पाठ्यक्रम में समन्वयता (रथाई) के आवेदन की स्थिति में अनुगोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों का सामूहिक हरताक्षरित छायाचित्र प्रबन्धक/संविद के साथ तथा वीडियोग्राफी की सी०डी० को अग्रिय रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।  
सन्दर्भित महाविद्यालय की निरीक्षण आख्या शासनादेश संख्या 710/सत्तर-2-2014-16(165)/2012टी०सी०० दिनांक 14 नवम्बर 2014 के द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर प्रश्नविद्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निरीक्षण के उपरान्त अधिकतम 03 कार्य दिवसों की अवधि में निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण न किये जाने की स्थिति में तात्सम्बन्धी आख्या/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सदस्यों के महाविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण करने, महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण में सहयोग करने/सहयोग न करने/बाद में निरीक्षण का अनुरोध करने अथवा अन्य तथ्य/तथ्यों का स्पष्ट विवरण निरीक्षण आख्या में अकिञ्चित किया जायेगा। निरीक्षण सम्पन्न न हो पाने की स्थिति में भी निर्धारित बिन्दुओं पर आख्या निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके प्रार्थना पत्र पर निरीक्षक मण्डल द्वारा सहमति की दशा में आगामी तिथि निरियत की जायेगी। शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर 2014 में निहित व्यवस्थानुसार सत्र का निर्धारण किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि समयान्तर्मत निरीक्षण का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्यों एवं समयान्तर्मत निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सचिव (क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी अथवा नामित क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य) का है। निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करने की दशा में शासनादेश संख्या 968/सत्तर-८-२०१६-१००(18)/2016 दिनांक 12 मई 2016 के निर्देशानुसार निरीक्षक मण्डल/सदस्य पर नियन्त्रणाराओं आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के समस्त व्यय जिसमें टी०१०/डी०१० एवं अन्य व्यय सम्मिलित हैं का मुग्धतान विश्वविद्यालय द्वारा बहन किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल इस आशय का भी एक प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा कि निरीक्षक मण्डल के किसी सदस्य/सदस्यों द्वारा महाविद्यालय से निरीक्षण हेतु विधिक रूप से अमान्य/नियमों के विपरीत कोई धनराशि नहीं ली गयी है। निरीक्षक मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या (निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रपत्र/अग्रिलेख संलग्न कर) क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी/राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नोट-उल्लिखित बिन्दु संख्या 12 एवं 13 के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल के द्वारा गमीरता से निरीक्षण कर पृथक-पृथक प्रविष्टि स्पष्ट रूप से स्वतं अंकित की जाये।

कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव सम्बन्धी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्मित आदेश/एडवाइजरी का पूर्णतः पालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण सम्पन्न किया जाएगा। यह निरीक्षण कोविड-19 के दृष्टिगत शासन/जिला प्रशासन के आवागमन शर्तों व अन्य प्रतिक्रियों के अधीन होगा।

भवदीय,

उप-कुलसंविधि

**प्रतिलिपि-1.** प्रबन्धक/संविद (राम अवध स्मारक पी०जी० कालेज कसदहाँ शुक्ल वाजार अम्बेकरनगर) को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर महाविद्यालय का निरीक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, निरीक्षण मण्डल को निरीक्षण में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तराधित महाविद्यालय का होगा। निरीक्षण होने सम्बन्धी सूचना अथवा अन्य सन्दर्भित सूचना तिथि सहित 03 कार्य दिवसों की अवधि में विश्वविद्यालय को अग्रिय रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी शासन की एडवाइजरी का अनुपालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाएगी।

2. प्रोग्राम, इ०टी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के लॉग-इन पर अपलोड करन का कष्ट करें।

उप-कुलसंविधि